


अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

RR 171/2025/22

हनुमान सिंह / पत्रावली

नम्बर व
अहकाम जो इस
की तामील जारी

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	
04.04.2025	<p>2025/171 हनुमान बनाम भगवानसिंह (2025/166)</p> <p>प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किये जाने से अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने पूर्व में जारी स्थगन आदेश को बढ़ाये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट रेषपोडेन्ट संख्या 02 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रेषपोडेन्ट संख्या 02 दिनांक 23.05.2025 को पेश हो। दिनांक 05.06.2023 को जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है।</p>	<p>2025/171 हनुमान बनाम भगवानसिंह</p>
23/5/25	<p>पत्रावली पेश की गई। वक्तुमात्र उपर पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रेषपो सं. 02 रजि. एडी दिनांक 23/5/25 को पेश हो। दिनांक 5.6.2023 को जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है।</p>	<p>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>
28/5/25	<p>पत्रावली पेश की गई। वक्तुमात्र उपर अधिनापक अपीलांट एवं अपीलांट उप. नरी। मन्दित्रासु अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार कू-कू कू आवाजे डिलाई गई, किन्तु उपस्थित रही हुए। अतः अपील अपीलांट मध्य होजरी-मध्य पेशी के खारिज बीजारी- पत्रावली के फलसुमार लेख नम्बर के क्रम है।</p>	<p>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>



583

श्री विरेडु सिंग वगैरों न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर
अपील टी0ए0 संख्या 175/2023 जिला जयपुर

एड. जे. अपील चेयरी की

203/175

अपील वादुजौल

1. हनुमान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह

2. सत्यनारायण सिंह पुत्र स्वरूप सिंह

RR 171/2025

अपील चेयरी

जाति राव, निवासी छापरवाडा, तहसील दूदू जिला जयपुर।

— अपीलांट्स

येयरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2/6/23

बनाम्

संप. 1. भगवान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति राव, निवासी छापरवाडा, तहसील दूदू जिला जयपुर।

2. सुजान सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राव, निवासी रामपुरा, तहसील व जिला अजमेर।

3. तहसीलदार महोदय दूदू जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू दिनांक 13.3.2018 जो प्रकरण संख्या 11/2018 में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है :-

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 681, 682, 683, 685, 940, 977,